भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2655

जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

ओडिशा में एमएसएमई के लिए ऋण की उपलब्धता

2655. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान ओडिशा में एमएसएमई को संवितरित कुल ऋण राशि कितनी है;

(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाओं से लाभान्वित होने वाले एमएसएमई की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने ओडिशा में ग्रामीण आधारित एमएसएमई के लिए कोई विशेष वित्तीय पैकेज शुरू किया है; और

(घ) संपार्श्विक चुनौतियों का सामना कर रहे एमएसएमई के लिए ऋण उपलब्धता में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): ओडिशा राज्य में पिछले तीन वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर) द्वारा संवितरित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ऋणों की राशि निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	संवितरित राशि (करोड़ रुपये में)
2021-22	17,872.45
2022-23	25,182.55
2023-24	35,913.74

(स्रोत: आरबीआई)

(ख): देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) योजना और स्टैंड-अप इंडिया योजना की शुरूआत से लाभान्वित एमएसएमई की संख्या क्रमशः 1.08 करोड़ और 2.59 लाख है।

(ग): भारत सरकार, ओडिशा सहित देश में एमएसएमई के लिए विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र और मांग आधारित योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), पीएम विश्वकर्मा (पीएमवी), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)

और एमएसएमई कार्यनिष्पादन में वृद्धि और गति प्रदान करना (आरएएमपी), एमएसएमई चैंपियंस योजना आदि शामिल हैं।

(घ): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र में इकाइयों के लिए बढ़ाए गए 10 लाख रुपये तक के ऋण के मामले में संपार्श्विक सुरक्षा स्वीकार नहीं करने का अधिदेश दिया है।

संपार्श्विक चुनौतियों का सामना कर रहे एमएसएमई तक ऋण की पहुंच में सुधार के लिए निम्नलिखित ऋण गारंटी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं:

(i) सीजीटीएमएसई योजना के तहत प्रदान की जा रही गारंटी के माध्यम से सूक्ष्म और लघु क्षेत्र की इकाइयों को 5 करोड़ रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।

(ii) सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) योजना के तहत प्रदान की जा रही गारंटी के माध्यम से क्षेत्र की इकाइयों को 20 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।

(iii) एमएसएमई के लिए म्यूचुअल ऋण गारंटी योजना के तहत प्रदान की जा रही गारंटी के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, स्टार्ट-अप के लिए ऋण गारंटी योजना और स्टैंड अप इंडिया के लिए ऋण गारंटी योजना जैसी अन्य ऋण गारंटी योजनाएं भी हैं, जहां एमएसएमई उधारकर्ताओं सहित संपार्श्विक चुनौतियों का सामना कर रहे सभी श्रेणियों के उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान किए जाते हैं।

******